अध्याय-X

सतत विकास लक्ष्य-3

अध्याय X: सतत विकास लक्ष्य-3

सतत विकास लक्ष्य सहस्राब्दि विकास लक्ष्य से व्युत्पन्न हुए हैं। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम शिखर सम्मेलन द्वारा वर्ष 2015 हेतु निर्धारित 18 मात्रात्मक लक्ष्यों सहित आठ अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का एक सेट था। सहस्राब्दि विकास लक्ष्य एक ही ढांचे के भीतर दुनिया के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों को मापने वाले उद्देश्य एवं लक्ष्य स्थापित करने तथा देशों व समुदायों को सक्रिय करने का पहला वैश्विक प्रयास था।

गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अभाव मुक्त दुनिया हेतु दूरदृष्टि स्थापित करने के उद्देश्य से सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया एवं यह एक जनवरी 2016 से लागू किया गया, जिसे 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य (सतत विकास लक्ष्य-1 से सतत विकास लक्ष्य-17) एवं 169 लक्ष्य रखे गए हैं। भारत 2030 एजेंडा के लिए प्रतिबद्ध है तथा सतत विकास लक्ष्य को स्थानीय स्तर तक के विकास की कल्पना के प्रमुख ढांचे के रूप में लिया जाना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य-3 का उद्देश्य है सभी के लिए जीवन के हर चरण में स्वास्थ्य एवं कल्याण सुनिश्चित करना। यह लक्ष्य सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करता है, जिसमें प्रजनन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य; संचारी, गैर-संचारी व पर्यावरणीय रोग; सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज; तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती दवाओं व टीकों तक पहुंच शामिल हैं।

भारत में नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य के समग्र समन्वय हेतु जिम्मेदार है एवं सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (फ्रेमवर्क) के निर्माण हेतु जिम्मेदार है।

राज्य सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 'दृष्टि हिमाचल प्रदेश-2030' प्रस्तुत किया गया (मार्च 2019)। सतत विकास एजेंडा-2030 के आलोक में, जिसका उद्देश्य है विकास के लाभ को साझा करने में कोई भी पीछे न छूटे, राज्य सरकार "सबका साथ-सबका विकास" के सूत्र वाक्य के साथ समावेशी विकास को आगे बढ़ा रही है।

राज्य सरकार राज्य की जनता के लिए समग्र समृद्धि एवं जीवन की बेहतर गुणवत्ता को सुविधाजनक बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश में तेज व समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता एवं पर्यावरणीय स्थिरता के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संस्थानों, ज्ञान समुदायों, पंचायतों, स्थानीय निकायों, डोमेन विशेषज्ञों एवं राज्य के नागरिकों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सतत विकास लक्ष्य-3, अच्छा स्वास्थ्य व कल्याण की योजना बनाने, रोड मैप तैयार करने, कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित

किया गया था, जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने एवं सभी उम्र के सभी लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देने का देशों से आह्वान करता है।

10.1 राज्य संकेतक ढांचे एवं जिला संकेतक ढांचे का निरूपण

सतत विकास लक्ष्य की प्रगति की निगरानी एवं मापने के लिए राज्य सरकारों को नीति आयोग के परामर्श से राज्य संकेतक फ्रेमवर्क एवं जिला संकेतक फ्रेमवर्क तैयार करना था। सतत विकास लक्ष्य की निगरानी के लिए राज्य सरकारों को स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के संकेतक विकसित करने की छूट दी गई जिसके लिए राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क एक आधार के रूप में काम करेगा। सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत 13 वैश्विक लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण **तालिका 10.1** में दिया गया है।

तालिका 10.1: वैश्विक लक्ष्यों के विवरण

लक्ष्य संख्या	संक्षिप्त विवरण
3.1	2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात[1] को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना।
3.2	2030 तक नवजात शिशु मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्म पर एवं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म पर लाने के लक्ष्य के साथ नवजात शिशुओं एवं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मृत्यु को समाप्त करना।
3.3	2030 तक एड्स, तपेदिक, मलेरिया एवं उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना एवं हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों व अन्य संचारी रोगों से निपटना।
3.4	2030 तक गैर-संचारी रोग के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु दर को 1/3 तक कम करना (गैर-संचारी रोग के प्रसार को कम करना एवं उपचार के अनुपालन को बढ़ाना तथा मानसिक स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देना)।
3.5	नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं शराब के हानिकारक उपयोग सहित मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम व उपचार मजबूत करना।
3.6	2020 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु व दुर्घटनाओं की संख्या आधी करना।
3.7	2030 तक परिवार नियोजन, सूचना व शिक्षा तथा राष्ट्रीय रणनीतियों व कार्यक्रमों में प्रजनन स्वास्थ्य के एकीकरण सहित यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
3.8	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, जिसमें वित्तीय जोखिम संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच एवं सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण व सस्ती अनिवार्य दवाओं एवं टीकों तक पहुंच शामिल है।
3.9	2030 तक खतरनाक रासायनिक और वायु, जल व मिट्टी प्रदूषण एवं संदूषण से होने वाली मौतों व बीमारियों की संख्या पर्याप्त रूप से घटाना।

[1] हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष एक लाख से कम जन्म होने के कारण मातृ मृत्यु अनुपात की गणना नहीं की जा सकती अतः मातृ मृत्यु पूर्णांक में परिलक्षित की गई।

लक्ष्य संख्या	संक्षिप्त विवरण
3.ए	सभी देशों में यथोचित रूप से तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना।
3.बी	संचारी एवं गैर-संचारी रोगों के लिए टीकों व दवाओं के शोध व विकास का समर्थन करना।
3.सी	स्वास्थ्य वित्तपोषण एवं स्वास्थ्य कार्यबल (स्वास्थ्य+आयुर्वेद) की भर्ती, विकास, प्रशिक्षण व प्रतिधारण में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना।
3.डी	पूर्व चेतावनी, जोखिम घटाने एवं स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्वास्थ्य जोखिमों की क्षमता को मजबूत करना।

वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क एवं राज्य संकेतक फ्रेमवर्क की जांच करके सतत विकास लक्ष्य-3 हेतु संकेतकों की उपलब्धता के आंकलनार्थ लेखापरीक्षा ने 13 वैश्विक लक्ष्यों के लिए संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण **(परिशिष्ट 12)** किया। अभिलेखों/रिपोर्टों की संवीक्षा से उजागर हुआ।

1. सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत सभी 13 वैश्विक लक्ष्यों को सम्मिलित करने वाले 28 वैश्विक संकेतक एवं 41 राष्ट्रीय संकेतक हैं। 'दृष्टि हिमाचल प्रदेश-2030' के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 28 राज्य संकेतक हैं जो सभी 13 वैश्विक लक्ष्यों को सम्मिलित करते हैं।
2. अक्टूबर 2022 तक जिला संकेतक फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया।
3. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय संकेतकों को अपनाने से लगभग ढाई वर्ष के विलम्ब के बाद सतत विकास लक्ष्य-3 लक्ष्यों को अंगीकृत किया। यह दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय संकेतकों को ग्रहण करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की।

10.2 सतत विकास लक्ष्य-3 हेतु योजना

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सतत विकास लक्ष्य-3 की योजना बनाने, रोड-मैप तैयार करने, कार्यान्वयन एवं निगरानी हेतु नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया।

नोडल विभाग को सतत विकास लक्ष्य-3 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु रोड मैप, तीन-वर्षीय व सात-वर्षीय कार्ययोजना बनाना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, समीक्षा सुनिश्चित करना एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- दिसंबर 2016 में नोडल विभाग ने रोड मैप, तीन वर्षीय व सात वर्षीय कार्ययोजना तैयार की।
- विभाग ने बनाई गई कार्ययोजना के संदर्भ में संकेतकों की प्रगति की निगरानी हेतु अन्य विभागों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें नहीं कीं।

- कर्मियों के कौशल विकास के लिए न तो कार्यशाला/सेमिनार एवं न ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

10.3 कार्यदल का गठन

जुलाई 2016 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार (योजना विभाग) ने सतत विकास लक्ष्य-3 प्राप्त करने के लिए दूरदृष्टि/रणनीति/कार्यवाही दस्तावेज़ तैयार करने हेतु अन्य संबंधित प्रमुख विभागों के साथ नोडल विभाग द्वारा एक कार्यदल गठित करने के निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग ने एक कार्यदल का गठन किया हालांकि दल की केवल एक बैठक जुलाई 2016 के दौरान आयोजित की गई थी एवं तदोपरांत अक्टूबर 2022 तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

10.4 सतत विकास लक्ष्य-3 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियों का आवंटन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्य-3 लक्ष्यों की प्राप्ति का प्राथमिक माध्यम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बताया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सभी योजनाएं संकेतकों व लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं, अतः राज्य में स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार की दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सतत विकास लक्ष्य-3 हेतु विशेष रूप से कोई निधियां अलग से आवंटित नहीं की गई।

वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु किया गया बजट प्राक्कलन एवं आवंटन **तालिका 10.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राक्कलित राशि	कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में स्वीकृत राशि	आवंटन	कमी(-)/आधिक्य(+)	
				राशि	प्रतिशत
2016-17	365.74	335.56	230.23	-105.33	-31.38
2017-18	444.27	409.82	373.34	-36.48	-8.90
2018-19	478.46	431.72	374.31	-57.41	-13.29
2019-20	587.1	517.31	556.96	39.65	7.66
2020-21	674.68	624.33	563.43	-60.9	-9.75
2021-22	655.23	627.00	980.72	353.72	56.41
योग	**3,205.48**	**2,945.74**	**3,079.07**	**133.33**	**4.53**

स्रोत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

जैसाकि **तालिका 10.2** से स्पष्ट है, स्वीकृत निधियों की तुलना में निधियों के आवंटन में वर्ष 2016-19 के दौरान 8.90 प्रतिशत से 31.38 प्रतिशत व वर्ष 2020-21 में 9.75 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 2019-20 व 2021-22 के दौरान क्रमशः 7.66 प्रतिशत व 56.41 प्रतिशत का आधिक्य हुआ। वर्ष 2016-22 के दौरान निधियों के आवंटन में 4.53 प्रतिशत का सकल आधिक्य पाया गया। विभाग ने प्रत्युत्तर में बताया (जनवरी 2024) कि वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया आवंटन आधिक्य कोविड महामारी के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु बुनियादी ढांचे के रखरखाव एवं आपातकालीन कोविड प्रतिक्रिया पैकेज I व II में आवंटन के कारण हुआ।

10.5 सतत विकास लक्ष्य-3 के अंतर्गत स्वास्थ्य संकेतकों के लक्ष्य

स्वास्थ्य सेवा पर सतत विकास लक्ष्य गरीबों एवं कमजोर वर्ग पर विशेष बल देने के साथ सम्पूर्ण आबादी को अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों की तुलना **परिशिष्ट 13** में दी गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए 10 स्वास्थ्य संकेतकों[2] के लक्ष्य, जिन्हें वर्ष 2022 तक प्राप्त किया जाना था, **तालिका 10.3** में दिए गए हैं।

तालिका 10.3: महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक व उसके सतत विकास लक्ष्य-3 लक्ष्य

क्र. सं.	संकेतक का नाम	2022 हेतु सतत विकास लक्ष्य /दृष्टि लक्ष्य	2022 की उपलब्धियां (मई 2022)	टिप्पणी	2030 का लक्ष्य
1.	मातृ मृत्यु अनुपात	<45/1,00,000 जीवित जन्म	मातृ मृत्यु अनुपात की गणना नहीं की गई, हालांकि एचएमआईएस डेटा के अनुसार 2020-21 में 89,963 जीवित जन्मों के प्रति 71 मातृ मृत्यु हुई।	अप्राप्त	<25/ 1,00,000 जीवित जन्म
2.	संस्थागत प्रसव	90 प्रतिशत	92.68* प्रतिशत	प्राप्त	100 प्रतिशत
3.	पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर	30/1,000	23	प्राप्त	<5/1,000
4.	नवजात मृत्यु दर	15/1,000	13	प्राप्त	5-10/1,000

[2] दृष्टि हिमाचल प्रदेश-2030 के अनुसार

क्र. सं.	संकेतक का नाम	2022 हेतु सतत विकास लक्ष्य /दृष्टि लक्ष्य	2022 की उपलब्धियां (मई 2022)	टिप्पणी	2030 का लक्ष्य
5.	शिशु मृत्यु दर	22/1,000	19	प्राप्त	5-10/1,000
6.	टीबी (तपेदिक)	<100 / लाख	<20 / लाख	प्राप्त	20/ लाख
7.	एक निश्चित समय अवधि में जीवित बच्चे को जन्म देने वाली 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रतिशत, जिन्हें सभी प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) प्राप्त हुई।	100 प्रतिशत प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करना	चार प्रसवपूर्व देखभाल - 80.30 प्रतिशत**	सतत विकास लक्ष्य-3 के अनुसार 100 प्रतिशत प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं है।	2022 तक 100 प्रतिशत
8.	15+ वर्ष की आयु के व्यक्तियों में वर्तमान तम्बाकू उपयोग की आयु मानकीकृत व्यापकता (15 वर्ष व उससे अधिक आयु के तम्बाकू उपयोग की व्यापकता: भारत 38 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 22 प्रतिशत)।	15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में तम्बाकू का उपयोग वर्तमान स्तर (22 प्रतिशत) से घटाकर 17 प्रतिशत करना।	12 प्रतिशत	प्राप्त	15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में तम्बाकू का उपयोग घटाकर पांच प्रतिशत से कम करना
9.	सम्मिलित किए गए लाभार्थियों की संख्या (हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्वच्छ ऊर्जा, अस्पताल मैनुअल, सार्वजनिक जागरूकता, जोखिम घटाना, योग, स्वास्थ्य पेशेवरों व अन्य का प्रशिक्षण)।	जागरूकता/प्रशिक्षण/ संवेदीकरण के लिए सभी उप मंडलीय/ ब्लॉक टीमों को शामिल करना।	स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों में योग सेवाएं संचालित करने हेतु योग शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए केवल अधिसूचना। चयनित जिलों में पाया गया कि स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों में कोई योग सेवाएं प्रदान नहीं की गईं।	राज्य लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं है।	2024 तक जागरूकता/ प्रशिक्षण/ संवेदनशीलता के लिए राज्य के सभी गांवों को कवर करना। जागरूकता/ प्रशिक्षण/ संवेदीकरण के लिए 10+2 स्तर तक के सभी स्कूलों को कवर करना।

क्र. सं.	संकेतक का नाम	2022 हेतु सतत विकास लक्ष्य /दृष्टि लक्ष्य	2022 की उपलब्धियां (मई 2022)	टिप्पणी	2030 का लक्ष्य
10.	सड़क यातायात चोटों के कारण मृत्यु दर (प्रति वर्ष 1,000 मृत्यु/प्रति दिन लगभग 3-4 मृत्यु)।	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक डेडिकेटेड ट्रॉमा देखभाल सेवाएं व सभी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना।	पूरे प्रदेश में अभी तक डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर स्थापित नहीं किए गए हैं (सोलन, नालागढ़, कोटखाई, ऊना में ट्रॉमा सेंटर-निधियां प्राप्त)।	राज्य लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं है।	2024 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक डेडिकेटेड ट्रॉमा देखभाल सेवाएं व सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना।

** राज्य में प्रसव की कुल संख्या के सापेक्ष गणना की गई।*

*** एचएमआईएस पोर्टल के अनुसार 1,06,340 पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष 85,395 को चार प्रसवपूर्व देखभाल की गई।*

टिप्पणी: विभाग ने बताया कि शेष 18 संकेतकों के लिए भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाना शेष है एवं सतत विकास लक्ष्य-3 संकेतकों की आवधिक समीक्षा की जा रही है।

स्रोत: मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ें।

तालिका 10.3 से स्पष्ट है कि वर्तमान उपलब्धि को देखते हुए राज्य को कुछ संकेतकों के 2030 के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गतिविधियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है, जैसाकि नीचे चर्चा की गई है।

- वर्ष 2022 में संस्थागत प्रसव का लक्ष्य 90 प्रतिशत और वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत था। मार्च 2022 तक राज्य की उपलब्धि 92.68 प्रतिशत थी।
- नवजात मृत्यु दर हेतु वर्ष 2022 का लक्ष्य 15/1,000 था एवं वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की उपलब्धि 13/1,000 थी। वर्ष 2030 का लक्ष्य प्राप्त करने के राज्य को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।
- शिशु मृत्यु दर हेतु वर्ष 2022 का लक्ष्य 22/1,000 था। मई 2022 तक राज्य की उपलब्धि 19/1,000 थी।
- सभी चार प्रसव पूर्व देखभाल देने हेतु वर्ष 2022 का लक्ष्य 100 प्रतिशत था परन्तु मार्च 2022 तक राज्य की उपलब्धि 80.30 प्रतिशत थी।

- जागरूकता/प्रशिक्षण/संवेदीकरण/योग हेतु वर्ष 2022 का लक्ष्य सभी उप मंडलों/ब्लॉक टीमों को कवर करना था परन्तु सितंबर 2021 तक सरकार ने स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में योग शिक्षकों को मात्र वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। विभाग द्वारा जागरूकता/प्रशिक्षण/संवेदीकरण का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त चयनित जिलों में देखा गया कि स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में कोई योग सेवाएं प्रदान नहीं की गईं।

- सड़क यातायात दुर्घटनाओं से हुई मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य ने वर्ष 2022 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक डेडिकेटेड ट्रॉमा देखभाल सेवाएं एवं सभी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा था। परन्तु जून 2022 तक सम्पूर्ण राज्य में कोई डेडिकेटेड ट्रॉमा सेंटर स्थापित नहीं किया गया। नालागढ़, कोटखाई व ऊना में निधियां प्राप्त होने के बावजूद ट्रॉमा सेंटर अभी तक स्थापित नहीं किए गए।

10.6 निष्कर्ष

राज्य ने सभी 13 वैश्विक लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए 28 संकेतकों को अंगीकार किया। अक्टूबर 2022 तक जिला संकेतक फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया। राष्ट्रीय संकेतकों को अंगीकृत करने से ढाई वर्ष के विलम्ब के पश्चात राज्य ने सतत विकास लक्ष्य-3 के लक्ष्यों को ग्रहण किया। सतत विकास लक्ष्य-3 के कार्यान्वयन हेतु अलग से बजट प्रावधान आवंटित नहीं किया गया, इसके बजाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सतत विकास लक्ष्य-3 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिक साधन माना गया। हालांकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से निधियों के आवंटन में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के मध्य 8.90 प्रतिशत से 31.38 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 में 9.75 प्रतिशत की कमी आई। मई 2022 तक मातृ मृत्यु अनुपात का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। कर्मियों के कौशल विकास हेतु कार्यशालाएं/सेमिनार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए।

10.7 सिफारिशें

सतत विकास लक्ष्य-3 के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन में शामिल सभी विभिन्न राज्य एजेंसियों का एकीकरण आवश्यक है। तदनुसार सरकार प्रयास करें:

- *सतत विकास लक्ष्य-3 के कार्यदलों की बैठकें समयबद्ध ढंग से आयोजित करें ताकि विचारों व सुझावों पर चर्चा एवं कार्यान्वयन किया जा सके।*
- *सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिले की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए जिला संकेतक फ्रेमवर्क तैयार करें।*

- *सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशालाएं/संगोष्ठियां एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।*
- *सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएं।*

(चंदा मधुकर पंडित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 13 सितम्बर 2024

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 20 सितम्बर 2024